न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०, कोर्ट संख्या 2 हरदोई।

(14 वां वित्त आयोग द्वारा सृजित)

उपस्थित– कुलदीप सिंह–II (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण संख्या –1356/2021

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम सागर

अपराध सं० 30/2021,
धारा– 498A, 304B भा०दं०सं०
व धारा 3/4 द०प्र० अधि०
थाना– कछौना।

दिनांक–25.05.2023

निस्तारण प्रार्थना पत्र 10 ब

1. पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र कागज संख्या 10 ब अन्तर्गत धारा 319 दं०प्र०सं० दिनांकित 21.03.2023 पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

2. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजाराम की ओर से अन्तर्गत धारा 319 दं०प्र०सं० प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि, साक्षी PW1 राजाराम (वादी मुकदमा) ने श्रीमान जी के समक्ष अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया है। जिसमें उसने राम सागर व ओमकार को अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने के कारण वादी की पुत्री मृतका पूनम को मारपीट कर प्रताड़ित करने व संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मृत्यु कारित करने का अपराध किया है। साक्षी PW2 सुरेन्द्र व साक्षी PW3 श्रीमती राजरानी ने अपना साक्ष्य में वादी के पूर्ण कथन का समर्थन किया है। प्रार्थी/वादी राजाराम द्वारा पत्रावली पर उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त ओमकार को तलब कर दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी। वादी मुकदमा की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा "Not Pressed" अंकित किया है।

3. अभियुक्त की ओर से आपत्ति करते हुए कथन किया गया है कि, वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित है। ओमकार प्रार्थी का भाई है। प्रार्थी व ओमकार घटना से पहले अलग–अलग रहते थे। अलग–अलग खाना पीना करते थे तथा आज भी अलग–अलग रहते हैं। प्रार्थी व अन्य के द्वारा कभी भी कोई दहेज की मांग नहीं की गयी, न ही मृतका का शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। वादी व अन्य साक्षीगण के प्रतिपरीक्षा में ओमकार के विरुद्ध कोई कथन नहीं किया है। दौरान विवेचना ओमकार के विरुद्ध जो रिपोर्ट भेजी गयी वह सत्य व सही है। प्रार्थी की आपत्ति स्वीकार कर वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त करने का आदेश पारित किया जाए।

4. यह सुस्थापित विधि है कि अभियुक्तगण को धारा 319 दं०प्र०सं० के प्रार्थना पत्र पर सुने जाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त राम सागर की ओर से लिखित आपत्ति करते हुए प्रस्तावित अभियुक्त ओमकार हेतु चाहा गया है। अतः अभियुक्त मात्र इस हद तक आपत्ति करने के हकदार हैं कि यदि नया अभियुक्त तलब किया जाता हैं तो उसका भी विचारण लम्बित होगा।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/वादी मुकदमा राजाराम द्वारा थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई थी कि प्रार्थी ने अपनी पुत्री की शादी आज से करीब 5 वर्ष पूर्व राम सागर पुत्र रघुनन्दन निवासी दर्शन खेड़ा थाना कछौना जिला हरदोई के साथ की थी। शादी में प्रार्थी ने अपने हैसियत के मुताबिक दान दहेज दिया परन्तु उसकी पुत्री को उसके पति राम सागर और उसका भाई

Digitally signed by KULDEEP SINGH
Date: 2023.05.26 16:26:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

ओमकार दिये गये अतिरिक्त दान दहेज से संतुष्ट नहीं थे और उसकी पुत्री से मोटर साइकिल की मांग करते थे। उसकी पुत्री जब भी घर आती थी, तब बताया करती थी। राम सागर व ओमकार अतिरिक्त दान दहेज में मोटर साइकिल की मांग हैं। उसके द्वारा मांग पूरी न होने पर मारते पीटते हैं। दिनांक 24.12.2020 को प्रार्थी के छोटे भाई सुरेन्द्र ने फोन पर सूचना दी थी कि उसकी पुत्री को राम सागर व ओमकार ने मारापीटा था। दिनांक 25.12.2020 को प्रार्थी करीब 2 बजे पहुंचे। प्रार्थी की पुत्री की लाश बेड़ पर रखी थी। राम सागर व ओमकार से पूछने पर कोई समुचित जवाब नहीं दिया और न ही उसकी पुत्री की लाश दिखाई। दिनांक 24.12.2020 को समय 3 बजे दिन दर्शन खेड़ा में पुत्री पूनम की लाश बेड़ पर पड़ी रखी थी। शरीर पर चोट के निशान थे। प्रार्थी थाना पर गया तथा उचित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

6. उक्त आधार पर अभियुक्त राम सागर व ओमकार के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 30/2021, अन्तर्गत धारा 498A, 304B भा0 दं0 सं0 व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटना स्थल, पोस्टमार्टम आख्या के आधार पर अभियुक्त राम सागर के विरुद्ध धारा 498 ए, 304 बी भा0 दं0 सं0 व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम आरोप पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त ओमकार की अपराध में संलिप्तता न पाये जाने पर उसकी नामजदगी गलत पायी गयी।

7. आरोप पत्र पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरदोई द्वारा संज्ञान लिया गया तथा पत्रावली सत्र सुपुर्द होने के पश्चात अभियुक्त रामसागर के विरुद्ध 498 ए, 304 बी भा0 दं0 सं0 व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम में आरोप विरचित किया गया तथा विकल्प में धारा 302 भा0 दं0 सं0 व ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप विरचित किया गया। अभियोजन की ओर से साक्षी PW1 राजाराम (वादी मुकदमा), साक्षी PW2 सुरेन्द्र कुमार व साक्षी PW3 राजरानी को परीक्षित कराया गया है।

8. उपरोक्त मामले में धारा 319 द०प्र०सं० के प्रावधान का उल्लेख किया जाना समीचीन है–

धारा 319 द०प्र०सं०– अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की शक्ति –

(1) जहाँ किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, वहाँ न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, कार्यवाही कर सकता है ।

(2) जहाँ ऐसा व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं है वहाँ पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उसे मामले की परिस्थितियों की अपेक्षानुसार, गिरफ्तार या समन किया जा सकता है।

(3) कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार या समन न किए जाने पर भी न्यायालय में हाजिर है, ऐसे न्यायालय द्वारा उस अपराध के लिए, जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए निरुद्ध किया जा सकता है।

(4) जहाँ न्यायालय किसी व्यक्ति के विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही करता है, वहां–

(क) उस व्यक्ति के बारे में कार्यवाही फिर से प्रारम्भ की जाएगी और साक्षियों को फिर से सुना जाएगा;

(ख) खण्ड (क) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए मामले में ऐसे कार्यवाही की जा सकती है, मानो वह

व्यक्ति उस समय अभियुक्त व्यक्ति था जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान किया था, जिस पर जांच या विचारण प्रारम्भ किया गया था।

9. प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा राजाराम ने स्वयं को PW1 के रूप में परीक्षित कराया है तथा प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मृतका पूनम की शादी उसकी मृत्यु से 5 वर्ष पूर्व की थी। लिखा है किस तारीख को मुझे याद नहीं। मृतका पूनम को शादी के करीब ढाई साल बाद लड़का विपिन पैदा हुआ था। आज के समय लड़की की उम्र लगभग साढे तीन साल व लड़के की ढाई साल है। मेरे भाई सुरेन्द्र दिन के 3 बजे मुझे फोन से लड़की की मृत्यु की सूचना दी। थाने में मैं पुलिस वालों से मिला था। उन लोगों ने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी थी। इस समय तक मैंने मृतका को नहीं देखा था। सूचना के आधार पर मैं थाना गया था। थाने के बाद मैं अपनी लड़की मृतका पूनम के घर नहीं गया था। थाने पर पुलिस वालों ने बताया था कि तुम्हारी लड़की की लाश चील घर गयी है, वहां जाओ। मेरी लड़की बीमार नहीं रहती थी। मैंने अपनी लड़की को पोस्टमार्टम के बाद नहीं देखा था और न ही अस्पताल गया था। मृतका के अंतिम संस्कार में मैं मौजूद नहीं था, क्योंकि मुझे खबर नहीं मिली थी। मुझे मृत्यु के तीसरे दिन खबर मिली थी। घटना के 5–6 दिन बाद मैं थाने गया था। मेरी बेटी दामाद के बीच घटना से पहले कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। दोनों प्रेमपूर्वक रहते थे, राजी खुशी मेरे घर आते थे। घटना से एक महीना पहले मेरी लड़की मेरे घर आई थी। राम सागर विदा कराकर ले गये थे। मेरे घर 4–5 दिन रुकी थी। राम सागर ने मुझसे कभी कोई बात नहीं की और न कभी दहेज की मांग की। फिर कहा राम सागर ने दहेज की मांग की। राम सागर ने मेरी लडकी को खाने, पीने, कपड़े की तकलीफ दी है। मारा पीटा भी है। इस बावत मैंने थाने में कोई शिकायत नहीं की। शादी के बाद बिदा होकर दिल्ली नहीं गयी, ये अपनी पति के साथ खुशनुमा जिंदगी व्यतीत नहीं करती थी। राम सागर के मकान के पक्के कमरे में मेरी लड़की रहती थी।

10. वादी मुकदमा के चचेरे भाई सुरेन्द्र कुमार को PW2 के रूप में परीक्षित कराया गया है। जिसने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि राम सागर के परिवार ने मुझसे कभी कोई दहेज की मांग नहीं की। न ही मेरे सामने कभी मारा पीटा व प्रताड़ित किया। पूनम रिस्ते में मेरी भतीजी लगती थी। शादी के बाद मैं पूनम की ससुराल नहीं गया। शादी के पहले गया था। घटना से पहले मेरी राम सागर से फोन से बातचीत होती थी। राम सागर के अलावा उसके गांव में किसी से बात नहीं होती थी। कभी कभी पूनम से होती थी।

11. वादी मुकदमा की पत्नी राजरानी को PW3 के रूप में परीक्षित कराया गया है। जिसने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मेरी बेटी के मरने की सूचना मेरे देवर ने मेरे पति को दी थी। मृतका के मरने के दूसरे दिन मैं आ गयी थी। मैं पूनम के ससुराल नहीं गयी थी। मैं अस्पताल भी नहीं गयी थी। मुझे नहीं मालूम कि मेरी बेटी का पोस्टमार्टम हुआ था कि नहीं। पूनम की लाश मुल्जिम राम सागर ले गया था। मैं व मेरे घर का कोई व्यक्ति दाह संस्कार में नहीं गया था। न ही मैंने राम सागर से पूछा कि मेरी बेटी की मृत्यु कैसे हुई।

12. वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त राम सागर के साथ साथ प्रस्तावित अभियुक्त ओमकार के विरुद्ध धारा 498A, 304B भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत किये जाने हेतु थाने पर तहरीर दी गयी थी, जिस पर थाने पर अभियुक्तगण राम सागर व ओमकार के विरुद्ध धारा 498A, 304B भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना विवेचक ने प्रस्तावित अभियुक्त ओमकार की उक्त अपराध में प्रथमदृष्टया संलिप्तता न पाये जाने पर मात्र अभियुक्त राम सागर के विरुद्ध धारा 498A, 304B भा०दं०सं० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। PW1, PW2 व PW3 द्वारा प्रतिपरीक्षा में किये गये कथनों के विश्लेषण से यह तथ्य सामने आता है कि वादी मुकदमा को मृतका पूनम की मृत्यु की सूचना उसके चचेरे भाई

PW2 सुरेन्द्र द्वारा दी गयी थी तथा PW3 राजरानी के बयान से यह तथ्य सामने आया है कि वादी मुकदमा व उसके घर का कोई व्यक्ति मृतका के दाह संस्कार में शामिल हुआ था और न ही अभियुक्त राम सागर से यह पूछा था कि मृतका की मृत्यु कैसे हुई है।

13. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी व अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगण PW1, PW2 व PW3 के बयानों से ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आया है जिससे प्रस्तावित अभियुक्त ओमकार की कथित अपराध में संलिप्तता प्रतीत होती हो।

14. धारा 319 दं०प्र०सं० की उपधारा 1 के अनुसार जहाँ किसी अपराध की जाँच या विचारण के दौरान साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने जो अभियुक्त नहीं है, उसने ऐसा अपराध किया, जिसके लिये ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, अथवा उस व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिये, जिसको उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, कार्यवाही कर सकता है। अतः उपरोक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 319 दं०प्र०सं० ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में है, जिन्हें विवेचक द्वारा आरोप पत्र में अभियुक्त नहीं बनाया गया है, लेकिन विचारण में उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।

15. विधि व्यवस्था **<u>सुनील कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, क्रिमिनल अपील संख्या 395/2019 निर्णय दिनांकित 27.02.2019</u>** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 319 दं०प्र०सं० के प्रावधान पर विस्तृत रूप से विचार करते हुए तथा विभिन्न विधि व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि धारा 319 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अतिरिक्त अभियुक्त को विचारण हेतु तलब किये जाने की न्यायालय की शक्ति एक विवेकीय तथा असाधारण शक्ति है, जिसका प्रयोग यदाकदा समुचित मामले में बहुत सावधानी के साथ किया जाना चाहिये। धारा 319 दं०प्र०सं० की शक्तियों के प्रयोग के लिये व्यक्ति के अपराध में शामिल होने की सम्भावना ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि उसके लिये कहीं अधिक ठोस साक्ष्य आवश्यक हैं। दूसरे शब्दों में यदि प्रस्तुत साक्ष्य अखण्डित रहने पर अभियुक्त की दोषसिद्धि में परिवर्तित हो सकता है तो इस शक्ति को प्रयोग उचित है। इस शक्ति का प्रयोग केवल इसलिये नहीं किया जाना चाहिये कि प्रथम सूचनादाता या गवाह में से कोई अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही चाहता है। इस शक्ति के प्रयोग के लिये न्यायालय को पर्याप्त और ठोस कारणों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Juhru vs. Karim & Anr. SLP (Criminal) No. 1658 Of 2020, निर्णीत दिनांकित 21.02.2023** में अवधारित किया गया है कि, "To prevent the frequent misuse of power to summon additional accused under section 319 Cr.P.C., and in conformity with the binding judicial dictums referred to above, the procedural safeguard can be that ordinarily the summoning of a person at that the very thereshold of the trial may be discouraged and the trial court must evaluate the evidence against the persons sought to be summoned and then adjudge whether such material is, more or less, carry the same weightage and value as has been testified against those who are already facing trial. In the

absence of any credible evidence, the power under Section 319 Cr.P.C. ought not to be invoked."

17. प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाहों के बयानों में प्रस्तावित अभियुक्त की संलिप्तता के सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य इस प्रकृति का नहीं है कि उसके अखण्डित रहने के आधार पर भी प्रस्तावित अभियुक्त की दोषसिद्धि सम्भव हो। अतः प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्था में प्रतिपादित सिद्धान्तों की कसौटी पर परखने पर यह मामला धारा 319 दं०प्र०सं० की शक्तियों के प्रयोग के लिये समुचित मामला नहीं पाया जाता है। अतः अभियोजन की ओर से धारा 319 दं०प्र०सं० के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

आदेश

18. प्रार्थना पत्र संख्या– 10 ब, अंतर्गत धारा 319 दं०प्र०सं० निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक 31.05.2023 को पेश हो। अभियोजन अपने गवाह प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

दिनांक–25.05.2023

(कुलदीप सिंह–II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०,
(14 वीं वित्त आयोग योजना के अंतर्गत सृजित),
हरदोई।